

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12938 / 5808

दिनांक :- 31-07-2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री दिनेश चंद मीणा [लिंक न. 12938] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, भरतपुर - [11426] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 24/10/2017 से 26/10/2017 तक 3 दिवस

दिनांक 31/10/2017 से 31/10/2017 तक 1 दिवस

कुल 4 दिवस

उक्त कुल 4 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री दिनेश चंद मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

8/2/20
(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12938 / 5808

दिनांक :- 31-07-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, भरतपुर
2. कोषाधिकारी भरतपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री दिनेश चंद मीणा [12938] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, भरतपुर
4. निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11407 / 5809

दिनांक :- 31/07/2020

कार्यालय आदेश

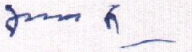
श्री /श्रीमती / सुश्री रेखा सिन्धव [लिंक न. 11407] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, कोटा - [22359] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 14/08/2018 से 16/08/2018 तक 3 दिवस

दिनांक 17/09/2018 से 24/09/2018 तक 8 दिवस

कुल 11 दिवस

उक्त कुल 11 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री रेखा सिन्धव की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। साथ ही इन्हें दिनांक 17/08/2018, 18/08/2018, 19/08/2018, 15/09/2018, 16/09/2018 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाती है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11407 / 5809

दिनांक :- 31/07/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, कोटा
2. कोषाधिकारी कोटा
3. श्री /श्रीमती / सुश्री रेखा सिन्धव [11407] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, कोटा
4. निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)